संविधान संवाद शृंखला – 14

भारत का राष्ट्रीय ध्वज : तिरंगे की कहानी

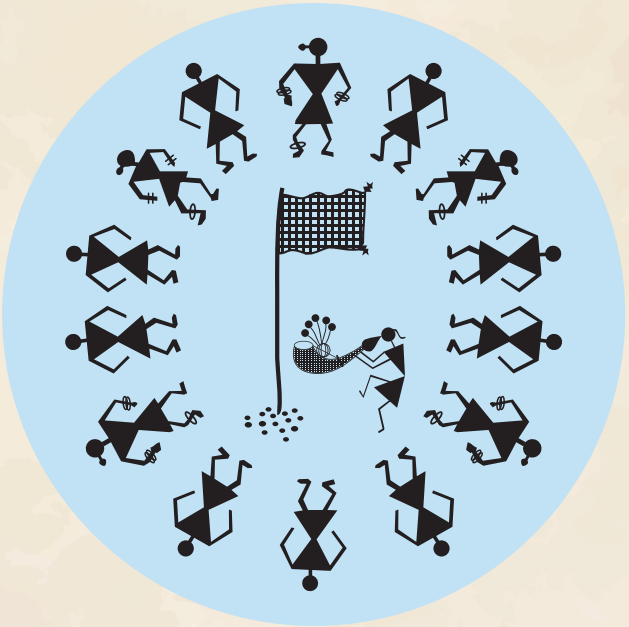

VIKAS SAMVAD

शीर्षक

भारत का राष्ट्रीय ध्वज : तिरंगे की कहानी

(संविधान संवाद शृंखला - 14)

लेखक

सचिन कुमार जैन

संपादन सहयोग

पूजा सिंह, राकेश कुमार मालवीय,
रंजीत अभिज्ञान, पंकज शुक्ला

संस्करण - प्रथम

वर्ष - 2023

प्रतियां - 1000

सहयोग राशि
छात्रों के लिए - ₹ 20
नागरिकों के लिए - ₹ 25
संस्थाओं के लिए - ₹ 30

मुद्रक - अमित प्रकाशन

सज्जा - अमित सक्सेना

प्रकाशक

विकास संवाद

ए-5, आयकर कॉलोनी, जी-3, गुलमोहर कॉलोनी,
बावड़िया कलां, भोपाल (म.प्र.) - 462039. फोन : 0755-4252789
ई-मेल : office@vssmp.org / www.vssmp.org
www.samvidhansamvad.org

भारत का राष्ट्रीय ध्वज : तिरंगे की कहानी

किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज केवल उसकी पहचान का प्रतीक नहीं होता है बल्कि वह पूरे देश को एक सूत्र में बांधता है। हमारी आज़ादी की लड़ाई में भी लंबे समय तक एक सर्वमान्य ध्वज की कमी खली। रियासतों के अपने-अपने झंडे थे लेकिन वे देश की सामूहिक पहचान का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते थे। इस ध्वज की अनुपस्थिति की पीड़ा, राष्ट्रीय ध्वज बनाने की पहल, इस ध्वज में किन प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाए इस पर होने वाली बहस से लेकर अंतिम रूप से तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज माने जाने का सफर अत्यंत दिलचस्प रहा। एक लंबे सफर के बाद वह ध्वज सामने आया जिसे हम भारत का राष्ट्रीय ध्वज कहते हैं और जिसे देखते ही हाथ स्वत: ससम्मान सलामी देने लगते हैं।

प्राचीन काल से ही ध्वज सामूहिक एकजुटता का प्रतीक रहा है। यही कारण है कि दुनिया के हर देश का अपना राष्ट्रीय ध्वज होता है। वह ध्वज उसकी सामूहिक पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में लंबे समय तक किसी चीज की कमी खली तो वह था एक ऐसा ध्वज जो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक एक भारत का प्रतिनिधित्व करता हो, जिससे भारत की जनता जुड़ाव महसूस करती हो।

भारत को भी तिरंगे झंडे के रूप में अपना राष्ट्रीय ध्वज मिला लेकिन शून्य से शुरुआत करके तिरंगे को अपनाने तक का सफर अत्यधिक दिलचस्प रहा।

औपनिवेशिक भारत का पहला ध्वज

सन 1857 में पहले स्वतंत्रता आंदोलन के समय एक राष्ट्रीय ध्वज के बजाय देश की अलग-अलग रियासतों के अपने-अपने ध्वज हुआ करते थे। यह दिलचस्प बात है कि महादेश कहे जाने वाले भारत को उसका पहला ध्वज औपनिवेशिक शासन में साम्राज्यवादी अंग्रेजी शासन द्वारा दिया गया।

सन 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जब ब्रिटिश सरकार ने औपचारिक रूप से भारत का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथ में ले लिया तब तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए अपना झंडा चुना। यह झंडा भारत को ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में प्रस्तुत करता था। नीले रंग के इस ध्वज की बांयी ओर ऊपर यूनियन जैक बना था जबकि दाहिने हिस्से के बीच में ब्रिटिश क्राउन में स्टार ऑफ इंडिया का चित्र अंकित था।

राष्ट्रीय ध्वज की अनुपस्थिति की पीड़ा

किसी भी स्वतंत्र देश की पहचान को स्थापित करने में राष्ट्रीय ध्वज एक अहम प्रतीक की भूमिका निभाता है। सरोजिनी नायडू, जो स्वतंत्रता मिलने से पहले ही भारत का अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रतिनिधित्व करने लगी थीं, ने राष्ट्रीय ध्वज न होने की पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहा था कि विश्व युद्ध के बाद जिस दिन वार्सलीज़ में संधि-पत्र पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे, उस दिन मैं संयोगवश पेरिस में थी। हर तरफ ख़ुशी थी। ओपेरा हाउस (संगीत भवन) सभी राष्ट्रों के झंडों से

सजा था। एक प्रसिद्ध अभिनेत्री रंगमंच पर आयी, उसने फ्रांस के झंडे को अपने चारों ओर लपेट लिया। सभी दर्शकगण एक साथ खड़े हो गये और फ्रांस का राष्ट्रीय गीत – दी मार्सलीज़... गाया गया। तब एक भारतीय ने अपनी आंखों में आंसू भरकर मुझसे पूछा कि हमारा झंडा कब बनेगा? मैंने उत्तर दिया कि शीघ्र ही वह समय आने वाला है जब हमारा अपना झंडा भी होगा और राष्ट्रगीत भी।

प्रतिरोध का पहला भारतीय ध्वज

सात अगस्त 1906 को बंगाल विभाजन के प्रतिरोध में सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने पारसी बागान चौराहे पर एक झंडा फहराया। यह एक चौकोर तिरंगा झंडा था, जिसमें हरी, पीली और लाल/नारंगी पट्टियां थी। सबसे ऊपर की हरी पट्टी में आठ कमल के फूल आठ प्रान्तों के प्रतीक थे। बीच की पट्टी में वंदे मातरम लिखा हुआ था। अनाधिकारिक रूप से यह पहला भारतीय ध्वज था।

सन 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने क्रांतिकारियों के साथ पेरिस (फ्रांस) में लगभग ऐसा ही झंडा फहराया। पहली बार केसरिया रंग का इस्तेमाल इसी झंडे में हुआ था। इसके बाद कुछ वर्षों तक भारत के ध्वज पर कोई ख़ास पहल नहीं हुई।

राष्ट्रीय ध्वज की पहल : पिंगली वेंकैय्या की भूमिका

आंध्रप्रदेश के कृष्णा जिले में जन्मे पिंगली वेंकैय्या भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में सक्रिय रूप से शामिल थे। वे महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रभावित थे। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने बोअर युद्ध में एक सैनिक के रूप में लड़ाई लड़ी। 19 साल की उम्र में वे दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी से मिले। उनकी तमन्ना थी कि भारत का अपना राष्ट्रीय ध्वज हो।

दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद वह उर्दू, संस्कृत और जापानी भाषा सीखने के लिए लाहौर में एंग्लो–वैदिक स्कूल भी गये।

उन्होंने 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वजों का अध्ययन किया और ऐसे ध्वजों की एक पुस्तक प्रकाशित की, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज हो सकते थे। वर्ष 1918–1921 के बीच वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत के ध्वज की बात को उठाते रहे। भारत आने के बाद वे विजयवाड़ा में महात्मा गांधी से मिले और उन्हें विभिन्न देशों के ध्वजों पर अपने प्रकाशन दिखाये और भारत की राष्ट्रीय ध्वज की जरूरत के बारे में बात की।

महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में लिखा, 'पिंगली वेंकैय्या ने, जो आन्ध्र नेशनल कॉलेज, मछलीपट्टनम में कार्यरत हैं, विभिन्न देशों के ध्वजों के बारे में पुस्तक प्रकाशित की है और भारत के राष्ट्रीय ध्वज के लिए भी कई प्रारूप बनाए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के दौरान भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाए जाने के लिए उनके द्वारा किए गये सतत प्रयासों की मैं सराहना करता हूं।'

महात्मा गांधी ने उनसे झंडा तैयार करने के लिए कहा। वेंकैय्या द्वारा बनाए गये शुरुआती झंडे में लाल और हरा रंग ही था। बाद में महात्मा गांधी और लाला हरदयाल के सुझावों के बाद इसमें शान्ति के प्रतीक के रूप में सफ़ेद रंग और आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में चरखे के पहिये को जोड़ा गया। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक समिति ने इस ध्वज में लाल रंग के स्थान पर केसरिया रंग स्थापित कर दिया और इसमें रंगों के स्थान में भी परिवर्तन किया गया। वर्ष 1931 के कराची अधिवेशन में ही कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से इस ध्वज को अपना लिया।

ध्वज निर्माण में सुरैय्या-बदरुद्दीन तैयबजी की भूमिका!

भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन से जुड़ी तमाम चर्चाओं से उभरे पहलुओं में एक पहलू यह भी है कि ध्वज का अंतिम डिजाइन एक मुस्लिम महिला ने तैयार किया था। यूं तो राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय पिंगली वेंकैय्या को दिया जाता है लेकिन इस विषय का अध्ययन करने वालों की एक धारा ऐसी भी है जो मानती है कि इस ध्वज का अंतिम डिज़ाइन सुरैय्या तैयबजी नामक एक मुस्लिम महिला की देन है जिन्हें कभी इसका समुचित श्रेय नहीं दिया गया।

सन 1919 में हैदराबाद में जन्मीं और वहीं पली-बढ़ी सुरैय्या तैयबजी एक आजाद ख़याल महिला और एक प्रतिष्ठित कलाकार थीं। उन्हें उस दौर में उनके तरक्कीपसंद और परंपराओं को धता बताने वाले विचारों के लिए जाना जाता था। सुरैय्या का विवाह एक नौकरशाह बदरुद्दीन तैयबजी से हुआ था जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति बने। सुरैय्या स्वयं संविधान सभा की कई समितियों की सदस्य रहीं।

अंग्रेज इतिहासकार ट्रेवर रॉयले अपनी पुस्तक **'द लास्ट डेज ऑफ द राज'** में लिखते हैं, 'भारत का राष्ट्रीय ध्वज एक मुस्लिम बदरुद्दीन तैयबजी ने तैयार किया था। शुरुआत में तिरंगे में एक चरखे का प्रतीक लिया गया था लेकिन वह एक पार्टी का प्रतीक चिह्न था और तैयबजी को लगा कि इससे गलत संदेश जा सकता है। काफी समझाने के बाद गांधी अशोक चक्र पर सहमत हुए क्योंकि सम्राट अशोक का हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सम्मान करते थे। उस रात नेहरू की कार पर जो झंडा लहरा रहा था वह तैयबजी की पत्नी ने खासतौर पर तैयार किया था।'

रॉयले जहां ध्वज के अंतिम डिजाइन का श्रेय बदरुद्दीन तैयबजी को देते हैं वहीं

हैदराबाद के इतिहासकार कैप्टन पांडुरंग रेड्डी की दलील है कि तिरंगे का अंतिम डिजाइन सुरैय्या तैयबजी ने तैयार किया था, उनके पति बदरुद्दीन तैयबजी ने नहीं। भारत की संविधान सभा की बहसों में ध्वज प्रस्तोता समिति में सुरैय्या तैयबजी का उल्लेख है लेकिन कहीं और उनके इस योगदान का जिक्र न होना दुखद है।

राष्ट्रीय प्रतीक और तिरंगे का रिश्ता

एक नये बन रहे देश के लिए राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न अत्यधिक महत्वपूर्ण था। तैयबजी दंपती की बेटी लैला तैयबजी के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रतीक का डिजाइन तैयार करने की जिम्मेदारी बदरुद्दीन तैयबजी को सौंपी। तैयबजी दंपती ने प्रतीक चिह्न के लिए चार सिंहों और अशोक चक्र का डिजाइन पेश किया।

> लैला तैयबजी लिखती हैं, 'इसी बीच जब उन्हें ध्वज का डिजाइन तैयार करने की जिम्मेदारी मिली तो उन्होंने प्रतीक चिह्न के अशोक चक्र को तिरंगे पर लगा दिया। मेरी मां ने एक काला चक्र बनाया था लेकिन गांधीजी की आपत्ति के बाद उसे गहरे नीले रंग का कर दिया गया।'
>
> लैला लिखती हैं कि पहला राष्ट्रीय ध्वज उनकी मां सुरैय्या तैयबजी की निगरानी में सिला गया और उसे जवाहरलाल नेहरू को भेंट किया गया। उस रात नेहरू की कार पर यही ध्वज लहराया।

नोट :

लैला तैयबजी के मुताबिक सुरैय्या और बदरुद्दीन तैयबजी ने कभी ध्वज के डिजाइन पर दावा नहीं किया। उन्होंने ऐसा शायद इसलिए किया क्योंकि यह ध्वज पिंगली वेंकैय्या द्वारा डिजाइन किए गए कांग्रेस पार्टी के ध्वज को आधार बनाकर विकसित किया गया था।

स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज

देश को आजादी मिलने से 23 दिन पहले यानी 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में प्रस्ताव रखा गया। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा, 'भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा होगा। जिसमें गहरे केसरिया, सफ़ेद और गहरे हरे रंग की बराबर-बराबर की तीन आड़ी पट्टियां होंगी। सफ़ेद पट्टी के केंद्र में चरखे के प्रतीक स्वरूप गहरे नीले रंग का एक चक्र होगा। चक्र की आकृति उस चक्र के समान होगी, जो सारनाथ के अशोक स्तंभ पर अंकित है। चक्र का व्यास सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होगा। राष्ट्रीय झंडे की चौड़ाई और लम्बाई का अनुपात साधारणत: 2:3 होगा।'

पंडित नेहरू ने
अपने भावनात्मक प्रस्ताव में कहा,
'इस महान राष्ट्र ने स्वतंत्रता के लिए जो महान युद्ध किया, मुझे उसकी सफलताएं और असफलताएं याद आती हैं। सभा के सदस्यों को याद होगा कि हम किस प्रकार इस झंडे को केवल गौरव और उत्साह ही नहीं, वरन शरीर में एक स्फूर्ति और उत्तेजना भरने वाला मानते थे। जब हम पराजित और निरुत्साहित हो जाते थे, तब इस झंडे का दर्शन आगे बढ़ने के लिए उत्साह दिलाता था। मैं आपको यह झंडा भेंट करता हूं।'

चरखे की जगह कैसे आया चक्र?

सन 1930 से ही देश की आजादी का आंदोलन जिस ध्वज के नीचे हो रहा था वह तिरंगा ही था लेकिन उसके मध्य में चक्र के स्थान पर चरखा था। इसे क्यों बदला गया?

पंडित नेहरू के मुताबिक, 'चरखा जिस रूप में झंडे पर पहले था, उसका चक्र

एक ओर था और तकुआ दूसरी ओर। यदि आप झंडे को दूसरी ओर से देखें तो चक्र इस ओर आ जाता था और तकुआ उस ओर। यह व्यावहारिक कठिनाई थी, इसलिए यथेष्ठ विचार करने के बाद हमने यह सोचा कि इस महान चिह्न को रखा जाये, किन्तु थोड़ा परिवर्तन करना होगा। तब हमने चक्र को रखा और शेष भाग–तकुए और माल को नहीं रखा।'

अशोक चक्र ही क्यों?

यह सवाल भी उचित ही है कि जब चरखे की जगह चक्र रखने का निर्णय कर लिया गया तो अशोक चक्र को ही अपनाने का ख्याल मन में क्यों आया? दरअसल उस समय अनेक चक्रों पर विचार हुआ, परंतु अशोक की प्रमुख लाट के सिरे पर बना चक्र चुना गया क्योंकि यह देश की प्राचीन सभ्यता का चिह्न भी है।

इस विषय में नेहरू ने कहा, 'हमने इसे इसलिए अपनाया क्योंकि हम मानते हैं कि भारत किसी महान लक्ष्य को न अपनाता तो वह जीवित भी न रहता और न इस दीर्घ काल तक अपनी सभ्यतामूलक परम्पराओं को जारी रख सकता था। यह अपनी परम्पराओं को जारी रखने में दृढ़ न रहा, बल्कि परिवर्तन करता रहा, हमेशा अच्छी बातों को ग्रहण करता रहा, और कभी–कभी बुरी बातें भी ग्रहण कीं, परंतु अपनी प्राचीन सभ्यता के प्रति सच्चा रहा। हजारों वर्षों में हमारे ऊपर तमाम नये प्रभाव पड़े लेकिन हमने दूसरों को भी खूब प्रभावित किया।'

नेहरू ने आगे कहा, 'किसी भी व्यक्ति या राष्ट्र का यह सोचना मूर्खतापूर्ण है कि वह शेष संसार को दे सकता है, उससे कुछ ले नहीं सकता। जब कोई राष्ट्र या कौम ऐसा सोचने लग जाती है, वह रूढ़, प्रगतिहीन हो जाती है। भारत के इतिहास को देखने पर आपको पता चलेगा कि भारत की अवनति का काल वह रहा होगा, जब उसने अपने आपको सबसे पृथक कर किया और बाहरी दुनिया की ओर देखना या उससे कुछ ग्रहण करना बंद कर दिया। और भारत का स्वर्ण

काल वह था जबकि उसने सुदूर देशों में दूसरों को अपनाने के लिए अपने हाथ बढ़ाये, अपने राजदूत और गुप्तचर भेजे, अपने सौदागर और व्यापारिक प्रतिनिधि उन देशों को भेजे तथा दूसरे देशों के राजदूतों और गुप्तचरों का स्वागत किया।'

अशोक यानी अंतरराष्ट्रीयता, तिरंगा यानी स्वाधीनता

नेहरू कहते हैं, 'भारतीय इतिहास में अशोक का काल वास्तव में इतिहास का अंतरराष्ट्रीय काल था, वह संकीर्ण काल न था। यह वह समय था जब भारतीय राजदूत सुदूर विदेशों में गये, साम्राज्य और साम्राज्यवाद के रूप में नहीं, बल्कि शांति, सदाचरण और शुभकामना का संदेश लेकर। इसलिए जिस झंडे को आपको भेंट करने का सम्मान मुझे प्राप्त हुआ है, वह झंडा साम्राज्य का, साम्राज्यवाद का नहीं बल्कि स्वतंत्रता का झंडा है और वह केवल हमारी स्वतंत्रता का नहीं, बल्कि उन सभी मनुष्यों की, जो भी इसे देखे, उनकी स्वतंत्रता का चिह्न है। यह दूर-दूर तक पहुंचेगा, केवल वहीं नहीं, जहां भारतवासी दूत तथा मंत्री के रूप में रह रहे हैं, बल्कि समुद्र पार जहां भारतीय जहाज़ों द्वारा यह ले जाया जायेगा। यह चाहे जहां कहीं भी यह पहुंचे, मैं आशा करता हूं कि लोगों को यह स्वतंत्रता का सन्देश देगा, मित्रता का सन्देश देगा और यह संदेश देगा कि भारत संसार के प्रत्येक देश से मैत्रीपूर्ण संबंध रखना चाहता है और जो लोग स्वतंत्रता चाहते हैं, उनकी सहायता करना चाहता है।'

गांधी की नाराजगी

हालांकि जब महात्मा गांधी को पता चला था कि राष्ट्रीय ध्वज में चरखे के चक्र के स्थान पर अशोक चक्र स्थापित किया गया है, तो वे दुखी हो गये थे। उन्होंने कहा कि ऐसा ध्वज कितना ही सुन्दर क्यों न हो, मैं उसे नमन नहीं करूंगा। वह बिना चरखे वाले राष्ट्रीय झंडे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। यद्यपि

बाद में उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और कहा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बना चक्र अहिंसा का दैवीय कानून है।

कांग्रेस का ध्वज राष्ट्रीय ध्वज न बने

यह जानना दिलचस्प है कि स्वयं कांग्रेस ने यह सुनिश्चित किया कि कहीं कांग्रेस के झंडे को ही भारत का राष्ट्रीय ध्वज न बना दिया जाये। दरअसल स्वतंत्रता आन्दोलन के समय प्रतीकात्मक ढंग से फहराये जाने वाले वाले झंडे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे के रूप में भी देखा जाता था। आज़ादी से कुछ महीने पहले दिल्ली में एशियाई देशों का सम्मलेन हुआ। इस सम्मलेन में मंच पर एशिया के सभी देशों के झंडे और उनके प्रतीक चिह्न लगे थे लेकिन भारत ने वहां कोई झंडा नहीं लगाया क्योंकि भारत नहीं चाहता था कि अंतरराष्ट्रीय सम्मलेन में दल आधारित राजनीति के लिए कोई स्थान हो।

राष्ट्रीय ध्वज और खादी

संविधान सभा ने चक्र युक्त तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात 15 अगस्त 1947 यानी आज़ादी के दिन की तैयारी के लिए संविधान सभा कार्यालय ने किसी कपड़ा मिल को 3,000 झंडे बनाने का आदेश दे दिया। जब इस बात का पता डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को चला तो उन्होंने तत्काल उस आदेश को रद्द करवाया और 27 जुलाई 1947 को पंडित जवाहर लाल नेहरू को पत्र लिखा कि हमें केवल हथकरघे से बने हुए झंडों का ही उपयोग करना चाहिए। चूंकि हमारी संविधान सभा के प्रस्ताव में यह उल्लेख नहीं था कि राष्ट्रीय ध्वज हथकरघे और खादी के होने चाहिए, इसलिए आवश्यक है कि

इससे सम्बंधित निर्देश सभी शासकीय कार्यालयों को भेजे जाएं। अगर कोई अन्य कपड़ा इस्तेमाल किया गया तो इससे बापू की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। 27 जुलाई 1947 को ही नेहरू जी ने इसका सहमति के साथ जवाब दिया और सभी कार्यालयों को खादी के कपड़े के ध्वज फहराने के निर्देश दिए गये।

भय और हिंसा का प्रतीक नहीं है भारत का राष्ट्रीय ध्वज

भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसी भी दृष्टि से भय या हिंसा का प्रतीक नहीं है। संविधान सभा के सदस्य एस. नागप्पा ने उचित ही कहा था कि हमारा ध्वज यह भी बताता है कि देश क्या चाहता है? हम दूसरे देशों को कैद नहीं करना चाहते हैं, हम साम्राज्यवादी नहीं बनाना चाहते हैं। हम दूसरे देशों को अपने सामने शीश झुकाते देखना नहीं चाहते हैं।

तिरंगा सांप्रदायिक प्रतीक नहीं है!

यह दुर्भाग्य की बात है कि आम जनता के एक वर्ग में यह गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की गयी कि तिरंगे का केसरिया रंग हिंदुओं का तथा हरा रंग मुस्लिमों का प्रतीक है। ऐसा करके देश के राष्ट्रीय ध्वज को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गयी। परंतु यह बात तथ्यात्मक दृष्टि से पूरी तरह गलत है।

> 'यह एक ऐसा झंडा है जिसके बारे में अलग-अलग बातें कही जाती हैं। कई लोग इसका गलत मतलब लगा बैठे हैं। वे इसे सांप्रदायिक नज़रिये से देखते हैं। ये लोग मानते हैं कि इसका कोई हिस्सा इस या उस समुदाय की नुमाइंदगी करता है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि जब यह झंडा तैयार किया गया तो कोई सांप्रदायिक संकेत इसमें नहीं जोड़ा गया।'
>
> **– पंडित जवाहर लाल नेहरू**

भारत के वास्तविक आंदोलनकारियों ने सांप्रदायिकता के हर प्रतीक को निष्क्रिय करने का हरसंभव प्रयास किया था। तिरंगे ध्वज की व्याख्या ऐसा ही एक प्रयास है।

बाइस जुलाई 1947 को संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार करने को लेकर हुई चर्चा में बेहद खूबसूरत दार्शनिक व्याख्याएं हुईं। संभवत: सभा के सदस्य चाहते थे कि तिरंगे की कभी गलत व्याख्या न होने पाये। यह भारत की पहचान बने। तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए, सभा को यह अनुमान था कि राष्ट्रीय पताका का भी सांप्रदायीकरण करने की कोशिश होगी।

तिरंगे की व्याख्याएं

संविधान सभा में **पंडित नेहरू** ने कहा था, 'कुछ लोग इसके महत्व को न समझ कर सांप्रदायिक रूप में सोचने लगे और यह विश्वास करने लगे कि अमुक भाग अमुक संप्रदाय का प्रतीक है, इत्यादि। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि जब इस झंडे का रूप विचारा गया था, तब इसके साथ कोई सांप्रदायिक चीज न थी। हमने झंडे के एक ऐसे नमूने पर विचार किया था, जो सुन्दर हो, क्योंकि राष्ट्र का प्रतीक देखने में सुन्दर होना चाहिए, जो अपने पूरे रूप में तथा पृथक-पृथक भागों में राष्ट्र की प्रवृत्ति का, राष्ट्र की परम्परा का, हजारों वर्षों से भारत में प्रचलित उसके मिश्रित रूप का प्रतीक स्वरूप भी हो। इसमें अन्य सुन्दर बातों का सादृश्य है-आत्मा सम्बन्धी और मन संबंधी बातों का, क्योंकि कोई भी राष्ट्र केवल भौतिक वस्तुओं के आधार पर जीवित नहीं रहता यद्यपि वे बड़ी महत्वपूर्ण हैं। भारत जैसा राष्ट्र जिसका अतीत बहुत प्राचीन है, अन्य उपकरणों पर भी जीवित रहता है-और वे हैं आध्यात्मिक उपकरण।

सेठ गोविन्द दास ने कहा कि 'इस झंडे के तीन रंगों में सांप्रदायिकता नहीं है, किन्तु एक समय ऐसा अवश्य था जब तीन

रंगों यानी लाल, सफ़ेद और हरा रंग में सांप्रदायिकता थी। जो लोग कहते हैं कि भगवा हिन्दुओं का रंग है, उनसे मेरा कहना है कि यह गलत है। महाभारत के समय आपको मालूम होगा कि रंगों का कोई प्रश्न नहीं था। तब अर्जुन के रथ की पताका पर हनुमान का चिह्न था। कर्ण के रथ पर हाथी की पताका थी, इसलिए किसी रंग को हिन्दुओं का प्राचीन रंग कहना ऐतिहासिक भूल है।'

सर एस. राधाकृष्णन ने कहा कि 'लाल, नारंगी और केसरिया रंग त्याग की भावना दिखाते हैं। कहा गया है कि 'सर्वे त्यागा राजधर्मेशु दृष्टा' अर्थात त्याग के समस्त रूप राजधर्म के अंतर्गत हैं। दार्शनिक को राजा होना चाहिए। वे ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिनमें त्याग की भावना कूट-कूट कर भरी हो। वह त्याग जो इतिहास के आरंभिक दिनों से ही इस केसरिया रंग ने हममें भरा है। यह सिद्ध करता है कि संसार धनाढ्यों का नहीं है, संपन्न व्यक्तियों का नहीं है बल्कि दीनहीन कर्तव्य परायण और विरागियों का है। वैराग्य और त्याग की वह भावना नारंगी या केसरिया में प्रदर्शित की गयी है। यह झंडा किसी संप्रदाय विशेष का नहीं है। यह झंडा हिन्दू का नहीं, मुसलमान का नहीं, ईसाई का नहीं, यहूदी का नहीं, जैन, सिख, बौद्ध, किसी का नहीं; यह झंडा सारे हिन्दुस्तान का है।'

तिरंगे में हैं प्रकृति के तीन रंग

मौलवी सैयद मोहम्मद सादुल्ला ने कहा कि 'यदि मुझे प्रकृति से उपमा देने की आज्ञा दी जाए तो केसरिया पृथ्वी की दशा बतलाता है। वह तप्त दशा जो भारतीय सूर्य के भीषण ताप द्वारा हो जाती है। जब कि मोती सामान श्वेत स्वच्छ जल वृष्टि होती है और वह जल बरफ से ढकी हुई पहाड़ियों से नदियों में आता है तो हमारी मरुभूमि भी हरित भूमि में परिवर्तित हो जाती है, जिसकी उपज हमें जीवित रखती है और जन समुदाय की वृद्धि के लिए उत्पादन करती है।

हिन्दू और मुसलमान, दोनों में सफ़ेद रंग पवित्रता का चिह्न है। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इस उत्तम विचार के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने मत का चिह्न सफ़ेद टोपी रखा है। झंडे का सफ़ेद भाग हमें याद दिलाता रहेगा कि हम केवल शब्दों में ही नहीं, वरन कर्मों में भी पवित्र रहें। हमें सदैव यह स्मरण रखना चाहिए कि हम यहां केवल अपने भौतिक लाभ के लिए नहीं हैं, बल्कि अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी हैं। यह चक्र धार्मिक चिह्न है और हम अपने धार्मिक वातावरण से अपने सामाजिक जीवन का विच्छेद नहीं कर सकते हैं।'

सेठ गोविन्ददास ने कहा, 'यदि हम हरे रंग पर दृष्टि डालें तो मालूम होगा कि एक समय यह रंग स्वतंत्रता संग्राम के झंडे का रंग था। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हमारे झंडे का रंग हरा ही था। उस समय यह हरा रंग न केवल मुसलमानों का रंग था, न केवल हिन्दुओं का भी रंग था, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में जूझने वाले सभी लोगों का रंग था।'

एस. राधाकृष्णन ने हरे रंग की व्याख्या करते हुए कहा, 'यह रंग यहां के वनस्पति जीवन से, जिस पर हम सब, सभी प्राणी मात्र निर्भर हैं, हमारा संबंध प्रकट करता है। हमको इसी हरित भूमि पर अपना स्वर्ग बनाना चाहिए। यदि हमें इस प्रयत्न में सफल होना है तो हमें श्वेत का अनुसरण करना चाहिए। धर्म (चक्र) का पालन करना चाहिए। आत्मनियंत्रण और त्याग (केसरिया) की नीति ग्रहण करनी चाहिए। यह पताका हमें आदेश देती है कि – सदैव तत्पर रहो, सदैव प्रगति करते रहो, आगे बढ़ो, स्वतंत्र, परिवर्तनीय, दयावान, सभ्य और प्रजातंत्रात्मक समाज की स्थापना करने का प्रयत्न करो, जिसमें ईसाई, सिख, मुसलमान, हिन्दू और बौद्ध सभी शरण में आ सकें।'

'यह झंडा हिन्दू का नहीं, मुसलमान का नहीं, ईसाई का नहीं, यहूदी का नहीं, जैन, सिख, बौद्ध, किसी का नहीं; यह झंडा सारे हिन्दुस्तान का है।'

– एस. राधाकृष्णन

राष्ट्रीय ध्वज : आदिवासी दृष्टिकोण

राष्ट्रीय ध्वज के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान आदिवासी अस्मिता के नज़रिये से जयपाल सिंह मुंडा ने महत्वपूर्ण दखल दिया। उन्होंने कहा कि 'मैंने सोचा था कि इस प्रस्ताव पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं भी इस देश के सच्चे स्वामियों– इस भूमि के प्रथम पुत्र उन तीन करोड़ आदिवासियों की ओर से कुछ कहूं। इस सभा के बहुत से सदस्य यह सोचने लगे हैं कि झंडे फहराने का श्रेय केवल आर्य सभ्यता को है।

महोदय, आदिवासी झंडा फहराने में और अपने झंडे के लिए युद्ध करने में सबसे आगे हैं। प्रति वर्ष छोटा नागपुर के मेले, यात्राओं और उत्सवों में जब भिन्न–भिन्न कबायली दल अपने अपने झंडे लेकर प्रवेश करते हैं, तब प्रत्येक दल 'जात्रा' में एक विशेष मार्ग से आता है। कोई दूसरा दल उस मार्ग से नहीं आ सकता। प्रत्येक गांव का एक झंडा होता है और उस झंडे की नकल कोई दूसरा दल नहीं कर सकता है। यदि विशेष दल उस झंडे को चुनौती देता है, तो वह दल उस झंडे की प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए अपने खून की अंतिम बूंद तक बहा देता है। अब से वहां दो झंडे होंगे। एक वह जो छह हज़ार सालों से है और दूसरा यह राष्ट्रीय झंडा, जो कि हमारी स्वतंत्रता का चिन्ह होगा।'

पंडित गोविन्द मालवीय ने कहा :

'तिरंगे की खूबी यह है कि हर व्यक्ति अपने-अपने ढंग से इसकी व्याख्या कर सकता है, हर रंग के अपने मायने निकाल सकता है। हमारे झंडे की यह खूबी है कि हर व्यक्ति उसके हर अंग पर अपने मन की खूबी गा सकता है।'

राष्ट्रीय ध्वज को लेकर इस चर्चा के बीच हमें उस राजनीतिक पृष्ठभूमि को ध्यान रखना होगा, जिसके साये में भारत स्वतंत्र हो रहा था और संविधान बना रहा था।

14 और 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि के 12 बजते ही ब्रिटिश वायसराय को यह सूचना दी गयी कि भारत विधान-परिषद ने भारत का शासनाधिकार ग्रहण कर लिया है। इसके बाद भारतीय महिला समाज की तरफ से संविधान सभा की सदस्य श्रीमती हंसा मेहता ने सरोजिनी नायडू, अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, सोफिया वाडिया, ज़ोरा अंसारी, रायवन तैय्यब जी समेत भारत के सभी संप्रदायों की 174 महिलाओं की तरफ से राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को भेंट किया और कहा कि 'हम प्रतिज्ञा करती हैं कि हम प्राप्त स्वाधीनता को स्थायी बनाने के महत्तर उद्देश्य के लिए कार्य करेंगी। हमें उन महती परम्पराओं को, जिनके कारण अतीत काल में भारत इतना महान था, स्थायी रखना है। यह पताका हमारे महान भारत का प्रतीक हो। यह सदा फहराती रहे और विश्व पर आज जो संकट की कालिमा छायी है, उसमें उसे यह प्रकाश दे। इसकी छत्रछाया में रहने वाले प्राणियों को यह सुख और शांति दे।'

भारत के तिरंगे की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता के भाव से उबार कर, एक व्यापक राष्ट्रीय आध्यात्मिक भाव को स्थापित करने का मकसद मौजूद था। कोशिश यह होनी चाहिए कि हम भारत के तिरंगे से उसकी जीवन गाथा सुनें और महसूस कर सकें कि हरे, लाल, केसरिया रंग की पट्टियां और गहरे नीले रंग का चक्र भेदभाव और हिंसा का नहीं, त्याग, अमन, प्रेम, सादगी और सकारात्मक गति के सूचक हैं।

ध्वज फहराना कैसे बना मौलिक अधिकार?

आज देश के प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का मौलिक अधिकार प्राप्त है लेकिन 2002 के पहले तक ऐसा नहीं था। सन 1992 में अमेरिका से शिक्षा लेकर भारत आये उद्योगपति नवीन जिंदल ने जब अपने कारखाने में राष्ट्रीय ध्वज फहराना शुरु किया तो जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय ध्वज संहिता का हवाला देकर उन्हें ऐसा करने से रोक दिया।

"जिंदल ने न्यायालय की शरण ली और आखिरकार लंबी लड़ाई के बाद 23 जनवरी 2004 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह समुचित आदर, प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ ध्वजारोहण कर सकता है। इसे भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार करार दिया गया। इस निर्णय के पश्चात ध्वज संहिता में संशोधन किया गया तथा अब भारतीय नागरिक किसी भी दिन राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं बशर्ते कि इस दौरान ध्वज की गरिमा का पूरा ध्यान रखा जाये।"

भारतीय ध्वज का सफरनामा

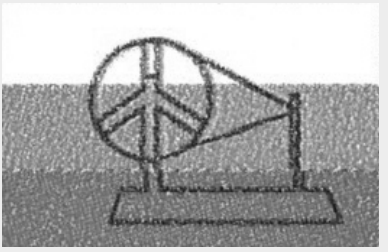

पिंगली वेंकैय्या द्वारा तैयार किया गया पहला ध्वज।
जिसमें लाल और हरा रंग था।

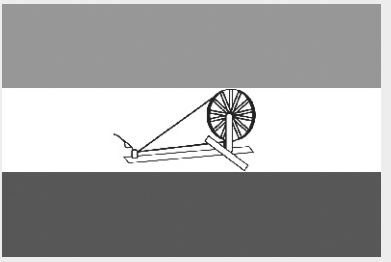

महात्मा गांधी के सुझाव के बाद तैयार किया गया ध्वज।
केसरिया, सफेद और हरे रंग के साथ चरखे वाला ध्वज।

अंतिम तौर पर अपनाया गया
अशोक चक्र वाला हमारा तिरंगा।

संविधान संवाद पुस्तिका श्रृंखला

- संविधान और हम
- भारतीय संविधान की विकास गाथा
- जीवन में संविधान
- भारत का संविधान – महत्वपूर्ण तथ्य और तर्क
- संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि
- संवैधानिक व्यवस्था : एक परिचय
- संविधान की रचना प्रक्रिया
- संविधान सभा में स्वतंत्रता का घोषणा पत्र
- संविधान की उद्देशिका से परिचय
- संविधान : मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व
- संविधान और रियासतें
- संविधान बोध और संवैधानिक नैतिकता
- भारत के संविधान के रोचक किस्से
- भारत का राष्ट्रीय ध्वज : तिरंगे की कहानी
- डॉ. बी.आर. अम्बेडकर और भारतीय संविधान
- गांधी का संविधान
- संविधान और आदिवासी
- स्वाधीनता, स्वतंत्रता और संविधान
- संविधान और समाजवाद तथा आर्थिक समानता
- संविधान और सांप्रदायिकता
- संविधान और चुनाव प्रणाली
- संविधान और न्यायपालिका
- संविधान और अल्पसंख्यक
- इंसानी व्यवहार में लोकतंत्र के होने का मतलब

पुस्तकें पाने के लिए संपर्क करें –
vikassamvadprakashan@gmail.com / 0755 - 4252789

'संविधान संवाद' शृंखला क्यों?

जब हम किसी विषय के बारे में अनभिज्ञ रहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन जब हम उसके बारे में जानना शुरू करते हैं तो फिर हर पहलू को टटोलने, जानने और समझने की आवश्यकता और ललक होती है।

भारतीय संविधान से जुड़ी तमाम जानकारियों को जानने की उत्कंठा के कारण ही 'विकास संवाद' ने 'संविधान संवाद शृंखला' आरंभ की है। इसका उद्देश्य संविधान की विकास गाथा को जानना, उसके उद्देश्य को समझना तथा तय लक्ष्यों की प्राप्ति में हम नागरिकों के कर्तव्यों के बोध की पहल करना है।

यह संवैधानिक मूल्यों के आत्मबोध से उन्हें आत्मसात करने तक की यात्रा है।

विकास संवाद

Azim Premji Foundation